



प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6**लखनऊ : दिनांक 27 जुलाई, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं०-57/83 के अंतर्गत लखनऊ एवं वाराणसी मण्डल के कतिपय जनपदों के कुल 11 सेतुओं के चालू कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (सेतु विंग), लो०नि०वि०, लखनऊ के कतिपय पत्रांक (तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं०-57/83 के अंतर्गत लखनऊ एवं वाराणसी मण्डल के कतिपय जनपदों के कुल 11 सेतुओं के चालू कार्य हेतु निम्नानुसार रू० 711.28 लाख (रूपये सात करोड़ ग्यारह लाख अठ्ठाइस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू० लाख में)

क्र० सं०	कार्यालय मुख्य अभियंता (सेतु विंग) का पत्रांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत/ प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	आवंटन धनराशि		
								अनुदान सं०-57	अनुदान सं०-83	योग (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	23760/CE-SEB/RYB/LK O/2026-27 Dt- 16-07-2026	प्रा.ख. खीरी	जनपद लखीमपुर खीरी में जंगबहादुरगंज मोहम्मदी मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी०-14 में क्षतिग्रस्त आर०सी०सी० स्लैब कल्वर्ट के स्थान पर 1x6x3 मी० स्पान की बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	65/2026/आई/125 9752/2026/23-6 099/71/2026-दिनांक-09-03-2026	152.45 152.45 29.52 122.93	1.95	120.98	46.24	12.45	58.69
2	तदेव	नि.ख.-1 उन्नाव	सफ़ीपुर मियंगंज मार्ग के किमी 13 में सकरे पुल के स्थान पर 5x6 मीटर स्पान के लघु सेतु का निर्माण कार्य।	122/2026/आई/12 75379/2026/23-6 6099/115/2026-दिनांक-21-03-2026	310.84 310.84 2.60 308.24	9.14	299.10	102.55	27.60	130.15
3	तदेव	प्रा.ख. रायबरेली	जनपद रायबरेली के विकास खण्ड बछरावां में झसिया से झामखेड़ा सं० मार्ग के किमी०-5 में 2X6x3 मी० स्पान (बाक्स टाइप) लघु सेतु, पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य निर्माण कार्य।	122/2026/आई/12 75379/2026/23-6 6099/115/2026-दिनांक-21-03-2026	76.63 76.63 5.97 70.66	0.90	69.76	31.52	8.48	40.00
4	तदेव	प्रा.ख. रायबरेली	जनपद रायबरेली के विकास खण्ड बछरावां में तिलेण्डा हलोर मार्ग के किमी०-14 में गोविन्दपुर नाले पर 1x6मी० स्पान (बाक्स टाइप) लघु सेतु, पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	145/2026/आई/12 80196/2026/23-6 099/92/2026-दिनांक-25-03-2026	71.99 71.99 5.16 66.83	0.90	65.93	39.40	10.60	50.00
5	23762/CE-SEB/RYB/V NS/2026-27 Dt- 16-07-2026	नि.ख. जौनपुर	जनपद जौनपुर में अचकारी सम्पर्क मार्ग के अचकारी नाले पर 2x4x4 मी० आर०सी०सी० बाक्स कल्वर्ट के निर्माण कार्य	127/2026/आई/12 75391/2026/23-6 099/99/2026-दिनांक-21-03-2026	67.51 67.50 0.09 67.41	0.93	66.48	47.07	12.67	59.74

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6	तदैव	नि.ख. जौनपुर	जनपद जौनपुर में अम्बरपुर-बेलवा-जमुआ-टेकारी मार्ग अन्य जिला मार्ग के किमी0 4 में 3x3x3 मी0 आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट के निर्माण कार्य।	127/2026/आई/12 75391/2026/23-6 099/99/2026-दि नांक-21-03-2026	94.31 94.31 2.18 92.13	1.29	90.84	64.32	17.31	81.63
7	तदैव	नि.ख.-3 गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में विकास खण्ड कासिमाबाद के ग्राम पंचायत बदरपुर चांद (मंझौवा) में गोधनी नदी पर लघु सेतु एवं पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य।	91/2025/676/23- 6099/11/2025-दि नांक-07-03-2025	121.24 121.24 21.11 100.13	95.09	5.04	3.97	1.07	5.04
8	तदैव	प्रा.ख. चंदौली	जनपद चन्दौली में ग्रामसभा महरा में कलाधर सिंह के मशीन के पास आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	27/2024/2082/0 01-1407-2024-23 -11-2024-दिनांक- 06-12-2024	73.84 73.84 0.12 73.72	51.69	22.03	17.36	4.67	22.03
9	तदैव	प्रा.ख. चंदौली	जनपद चन्दौली में दरोली तेलहरा ग्राम से खुरहट तक सम्पर्क मार्ग के किमी-4 में लघु सेतु का निर्माण।	308/2025/आई/11 27572/2025/001- 23-6099/177/202 5-दिनांक-30-10-2 025	43.93 43.93 0.06 43.87	10.00	33.87	19.70	5.30	25.00
10	तदैव	प्रा.ख. चंदौली	जनपद चन्दौली में ग्राम सभा महदेउर में गोपालपुर में गड़ई नदी में बावस कल्वर्ट एवं पहुँच मार्ग का निर्माण।	316/2025/आई/11 30328/2025/23- 6099/180/2025- दिनांक-31-10-202 5	157.04 157.04 0.19 156.85	10.00	146.85	109.52	29.48	139.00
11	तदैव	प्रा.ख. चंदौली	जनपद चन्दौली में कठौरी एवं देवई सीमा पर संतोष जायसवाल के खेत पर लघु सेतु एवं सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य।	126/2026/आई/12 75382/2026/23- 6099/98/2026-दि नांक-21-03-2026	109.60 109.60 0.02 109.58	1.60	107.98	78.79	21.21	100.00
कुल योग								560.44	150.84	711.28

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- (3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।
- (4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) उक्त तालिका अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।
- (6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
- (7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्ययगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(8) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा। वर्तमान आबंटन के आधार पर लागत में सम्मिलित अनुरक्षण की धनराशि को व्यय नहीं किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 5,60,44,000 (रुपये पाँच करोड़ साठ लाख चौवालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 1,50,84,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख चौरासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शेषनाथ)

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
- (3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
- (4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
- (5) वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ।
- (7) संबंधित कोषाधिकारी।
- (8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
- (9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
- (10) नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट, लोक निर्माण विभाग ।
- (11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शेषनाथ)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।